

कार्यालय: जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक: स्थापना/गार्ड/2023/180

दिनांक :- 06-12-2023

— :: आदेश :: —

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना संख्या-08/ई.वी./2022 दिनांक 12-12-2022 एवं आदेश क्रमांक 13/विविध/2023 दिनांक 02-12-2022 अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 25 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक शीतकालीन अवकाश (Winter Holidays) घोषित किया गया है। अतः समस्त जिला एवं सेशन न्यायाधीशों एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय उक्त अवधि में बन्द रहेंगे परन्तु वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के न्यायालय राजपत्रित तथा सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर दिनांक 25-12-2023 से 31-12-2023 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि में खुले रहेंगे। उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण एवं उक्त न्यायालयों के कर्मचारीगण शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ आदेश देता हूँ कि शीतकालीन अवकाश दिनांक 25-12-2023 से 31-12-2023 की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में पूरे सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक आवेदन पत्र जो सेशन न्यायालय के समक्ष पेश किये जावेंगे या लम्बित हैं, जिनको सुनने एवं निस्तारित किये जाने के लिए निम्न न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है—

अवधि	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद
दिनांक 26.12.2023 से 28.12.2023 तक	श्री नुकेश भगोरा वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद
दिनांक 29.12.2023 से 30.12.2023 तक	श्री हरिश मेनारिया, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धरियावद

इसी प्रकार प्रतापगढ़ न्यायक्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालयों के जमानत एवं निरोध अवधि की अभिवृद्धि (रिमाण्ड) संबंधी तथा अन्य आवश्यक सिविल मामलों को निपटाने के लिए निम्न न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है —

अवधि	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं पद
दिनांक 25.12.2023 से 27.12.2023 तक	श्री हिमांशु चावला, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
दिनांक 28.12.2023 से 01.01.2023 तक	श्री विकास जैन, न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय प्रतापगढ़

राजकीय अवकाश के दिनों में अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेट समय 11:00 ए.एम. से 01:00 पी.एम. तक दो घण्टे अपने न्यायालय में बैठकर कार्य सम्पादित करेंगे। साथ ही उक्त दो घण्टे के दौरान संबन्धित न्यायालय के रीडर, स्टेनो, फौजदारी लिपिक व एक सहायक कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है।

उक्तानुसार संबंधित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारीगण उक्त अवधि में शीतकालीन अवकाश का उपभोग नहीं कर सकेंगे एवं अपनी उपस्थिति न्यायालय में देंगे। अन्य अधीनस्थ न्यायालय शीतकालीन अवकाश की अवधि में बंद रहेंगे।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावें :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय/मोटरवाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, प्रतापगढ़
3. विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. प्रकरण/पोक्सो/अ.जा./अ.ज.जा.(अ.नि.प्र.) प्रतापगढ़ (राज.)
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादड़ी/धरियावद
6. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़
7. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
8. अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़
9. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, प्रतापगढ़
10. श्री पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (सभी थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु)
11. अधीक्षक, जिला कारागृह, प्रतापगढ़/उपकारागृह छोटीसादड़ी/कानोड़
12. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादड़ी/धरियावद (राज.)
13. गार्ड पत्रावली/वरिष्ठ मुंसरिम/रीडर/सेशन्स क्लर्क/सिविल क्लर्क/अदालत हाजा।
14. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
प्रतापगढ़ (राज.)